26. आवेदक का मानचित्र जिस उपयोग हेतु निर्धारित अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है उस अवधि में कार्यपूर्ण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस लीडा की भवन नियमावली 2009 व अन्य नियमों के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल देय होगा।

27 प्राधिकरण व सहा0 प्रबंधक परि0 व अन्य अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।

28 प्राधिकरण की भवन नियमावली एवं अन्य शर्ते आवेदक को मान्य होगी।

29 अग्निशमन विभाग द्वारा जारी पत्र सं0. प.स. 1896/एफ0एस0–13 दि0 28.12.15 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

30. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र. सं0 पत्र सं0 ए0ए0आई0/एन0ओ0सी0/2013 /264 /2532 दि0 22.08.13 उक्त भूमि पर 47.00 मीटर के भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है, में उल्लिखित शर्तो का पालन किया जायेगा।

31 बृक्षारोपण का अनुपालन किया जायेगा।

32 स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय–2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।

33. सड़को के किनारे यथा सम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा बिक–ऑन–एज"/ लूज स्टोन पेवमेन्ट"का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

34 विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।

35 किन्ही भी शर्तो का अनुपालन न करने पर मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

36 आवश्यक समस्त शासकीय अनापत्ति आप द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ई0आई0ए0 एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी एवं उसी के उपरांत निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

37 अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिर्वतन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।

38 यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्तकी जा सकती है।

39. ग्रीन बिल्डिग के संबंध में शासनादेश सं0 1835/8–3–15–13विविध/15 दि0 12.10.2015 के अनुसार ही कार्य कराये जाने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण पत्र प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा जिसके उपरांत ही कम्पनसेक्ट्री एफ0ए0आर0 (05 प्रतिशत) अनुमन्य किया जायेगा।